न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 52/2019 **(RCMS No. 2019/00097)**

वादी

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र पूरणराम जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूकमा देवी पत्नि पूरणराम
2. मंगनाराम पुत्र पूरणराम
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र पूरणराम
4. सुखाराम पुत्र बोदूराम जाति समस्त जाट निवासीगण गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।
5. तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा– बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री विजयसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 30-09.2019

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा पृथक–पृथक निवास करते है वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 493/36 रकबा 6.29 हैक्टर वाके सरहद करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी में स्थित है पक्षकारान के मध्य मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका है जिसमें वादी, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट व कब्जे काश्त के उपर वर्णित खसरा नम्बर आया है जिसमें प्रतिवादी सं. 4 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है, प्रतिवादी सं. 4 के बंट में ग्राम गोमथलिया की ढ़ाणी में अवस्थित खसरा नम्बर 1277/1106 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1121 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1292/1124 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा आया हुआ है, उपर वर्णित खसरान में प्रतिवादी सं. 4 का किसी प्रकार का हक अधिकार नही है प्रतिवादी सं. 4 गौमथलिया की ढ़ाणी अवस्थित भूमि पर काबिज है एवं उपर वर्णित खसरान में वादी व प्रतिवादी [illegible] ता 3 का कब्जा काश्त है, वर्तमान में प्रतिवादी सं. 4 का नाम रा[illegible] से [illegible] घोषणा खातेदारी, बंटवारा व रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 493/36 रकबा 6.2[illegible] हैक्टर में प्रतिवादी सं. [illegible] नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 से 3 को खातेदार [illegible]कार घोषित किय जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:51 IST
Reason: SelfAttested

....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादी के साथ दिनॉक 19.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान द्वारा दिनॉक 19.08.2019 को राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि उभय पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईस व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, मौजा ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 493/36 रकबा 6.29 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के कब्जे काश्त व स्वामित्व की आई हुई हे जिसमे प्रतिवादीगण सं. 4 का कोई हक हिस्सा नही होने से उपरोक्त खसरान की भूमि से प्रतिवादी सं. 4 का नाम हटवाया जाना आवश्यक है अतः उक्त अनुसार राजीनामा प्रस्तुत करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में सम्वत 2048–51, 2052–55, सम्वत 2056–59, 2060–63, एवं चालू जमाबन्दी नकले प्रस्तुत की।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस दौरान कथन किया है कि राजीनामा मुताबिक वाद डिक्री किया जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पति रही है, नकल खतौनी सम्वत 2048–2051 अनुसार ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 492/36 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 493/36 रकबा 7.09 हैक्टर कुल रकबा 7.10 हैक्टर में सुखाराम पूर्णराम पि. बोदूराम जाट सा. गौमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना खातेदार दर्ज है, एवं सम्वत 2052–2055 में ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 492/36 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 493/36 रकबा 7.09 हैक्टर कुल रकबा 7.10 हैक्टर में सुखाराम पूर्णराम पि. बोदूराम जाट सा. गौमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2056–59 अनुसार ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 492/36 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 493/36 रकबा 7.09 हैक्टर कुल रकबा 7.10 हैक्टर में सुखाराम पूर्णराम पि. बोदूराम जाट सा. गौमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना खातेदार दर्ज है नामान्तरकरण सं. 125 दिनॉक 19.06.2002 रहननामा के द्वारा पूर्णराम पि. बोदूराम को हिस्सा राहिन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ब्रांच जिलिया मूर्तहीन, नामा. सं. 137 दिनॉक 20.04.2003 के द्वारा सुखाराम पूर्णराम पि. बोदूराम ने खसरा नम्बर 493/36 रकबा 7.09 हैक्टर में से 0.02 का बेचान करने पर लिछमणराम पुत्र तुलछाराम जाट के नाम 0.02 हैक्टर खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा, नामा. सं. [illegible] द्वारा पूर्णराम का हिस्सा रहनमुक्त किया गया। सम्वत 2060–2063 अनुसार [illegible] ड़ी के खसरा नम्बर 492/36 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.रास्ता में [illegible] सा. गौमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना खातेदार [illegible] के खसरा नम्बर 493/36 रकबा 7.09 हैक्टर में सुखाराम पूर्णराम पि. बोदूराम हिस्सा [illegible]7 हैक्टर लिछमणराम पुत्र तुलछाराम हि. 0.02 हैक्टर जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है नामा. सं. 147 दिनॉक 25.09.03 के द्वारा हिस्सेदार सुखाराम द्वारा खसरा नम्बर 493/36 की भूमि में से अपने हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:51 IST
Reason: SelfAttested

....3....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

में से 0.78 हैक्टर भूमि लिछमणराम सहखातेदार को बेचान करने पर लिछमणराम पुत्र तुलछाराम जाट सा. देह खातेदार, खसरा नम्बर 494/493/36 की 0.80 हैक्टर बारानी प्रथम सुखाराम पुत्र बोदूराम जाति जाट 2.755 हैक्टर पूर्णराम पुत्र बोदूराम जाट 3.535 हैक्टर सा. गौमथलिया की ढ़ाणी खातेदार स्वीकृत हुअआ ख्सरा नम्बर 493/36 की 6.29 बारानी प्रथम, नोट शुद्वि पत्र सं. 1 के अनुसार खसरा नम्बर 494/493/36 के स्थान पर 494/36 दुरूस्त किया गया, नामा. सं. 184 दिनॉक 20.05.2005 को लिछमणराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट द्वारा सम्पूर्ण भूमि बेचान करने पर उसके स्थान पर पूर्णराम पुत्र बोदूराम जाति जाट सा. करकेड़ी का नाम दर्ज किया गया।

जमाबन्दी नकल सम्वत 2076—2079 ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 493/36 रकबा 6.29 हैक्टर बारानी प्रथम में मगनाराम पुत्र पूर्णराम हिस्सा 707/5032 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया रूकमादेवी पत्नि पूर्णराम हिस्सा 707/5032 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया राजेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णराम हिस्सा 707/5032 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया विजेन्द्र कुमार पुत्र पूर्णराम हिस्सा 707/5032 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया सुखाराम पुत्र बोदूराम हिस्सा 551/1258 जाति जाट सा. गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना खातेदार दर्ज है। उपलब्ध रेकार्ड राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है तथा ग्राम गोमथलिया में भी इनकी दूसरी भूमि खसरा नम्बर 1277/1106, 1121, 1292/1124 आई हुई है जिसका प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना में जैरकार है जिसमे भी पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत कर आपसी सहमति से बंटवारा कराने का निवेदन किया है, ग्राम गोमथलिया की ढ़ाणी के उपरोक्त खसरान की भूमि प्रतिवादी सं. 4 के हिस्से में रखना चाहते है तथा करकेडी के खसरा नम्बर 493/36 की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता 3 के हिस्से में रखना चाहते है जिसका जिक्र वाद पत्र में पक्षकारान ने किया है, मुताबिक राजीनामा वाद काबिल डिक्री योग्य पाया जाने से वाद वादी डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 493/36 रकबा 6.29 हैक्टर कुल में से प्रतिवादी सं. 4 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 30/9/19 को हमारे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:51 IST
Reason: SelfAttested

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 52/2019 **(RCMS No. 2019/00098)**

वादी

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र पूरणराम जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूकमा देवी पत्नि पूरणराम
2. मंगनाराम पुत्र पूरणराम
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र पूरणराम
4. सुखाराम पुत्र बोदूराम जाति समस्त जाट निवासीगण गोमथलिया की ढ़ाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।
5. तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा– बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री विजयसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 493/36 रकबा 6.29 हैक्टर कुल में से प्रतिवादी सं. 4 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ....माह .... सन्............... को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत....................
ओहदा.........................
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]ल		
महन्ताना वकिल			[illegible]		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुत[illegible]		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:51 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।